भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 967
उत्तर देने की तारीख 10.02.2025

प्राचीन मार्शल आर्ट 'कलारीपयट्टू'

967. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह ध्यान दिया है कि कलारीपयट्टू, एक प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट है जिसका इतिहास दक्षिण भारत में संगम काल से जुड़ा है, यह एक वैज्ञानिक खेल है जिसके लिए बहुत अधिक मानसिक-शारीरिक समन्वय और तत्परता की आवश्यकता होती है और इसलिए इसे विशेष संवर्धन और प्रोत्साहन मिलना चाहिए;

(ख) क्या सरकार कलारी की उत्तरी शैली, जिसे वडक्कन कलारी के नाम से भी जाना जाता है, जो मालाबार क्षेत्र में लोकप्रिय है और जिसे आम तौर पर कलारीपयट्टू का "मूल" रूप माना जाता है, को बढ़ावा देने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): कलारी शब्द का अर्थ है व्यायामशाला या अध्ययन का स्थान तथा पयट्टू का अर्थ है युद्ध।

कुछ इतिहासकारों ने संगम साहित्य पुरनानूरू और अकनानूरू में तलवार आदि से युद्ध का उल्लेख करते हुए कलारीपयट्टू को विकसित करने का श्रेय संगम युग (ईसा पूर्व 200-600 सी.ई.) को दिया है।

संस्कृति मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन, दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (एसजेडसीसी), तंजावुर ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कलारीपयट्टू प्रदर्शनों का आयोजन किया है, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:

2022-2023:

i. कर्नाटक में अखिल भारत शौर्य पर्व महोत्सव।
ii. पुदुचेरी में कराईकल कार्निवल।
iii. कर्नाटक में चिकमगलूरु सांस्कृतिक उत्सव।
iv. कर्नाटक में युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम।

2023-2024:

i. केरल में विश्व लोकसाहित्य दिवस समारोह।
ii. कर्नाटक में दशहरा महोत्सव।
iii. पुदुचेरी में कराईकल कार्निवल।
iv. तेलंगाना में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव।
v. तमिलनाडु में ग्रीष्म उत्सव

2024-2025 (जनवरी, 2025 तक):

i. कर्नाटक में ओणम समारोह।
ii. पुदुचेरी में फेट-डी-पुदुचेरी।
iii. गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस।

(ख) और (ग): संस्कृति मंत्रालय द्वारा दो स्कीमें संचालित की जाती हैं यथा गुरु-शिष्य परंपरा (रेपर्टरी अनुदान) और सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी) जिनमें कलारीपयट्टू सहित मंच कला की सभी शैलियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। गुरु-शिष्य परम्परा (रेपर्टरी अनुदान) के अंतर्गत गुरु के लिए सहायता राशि 15,000 रुपये प्रतिमाह तथा शिष्य के लिए 2,000-10,000 रुपये प्रतिमाह है, जो कलाकार की आयु पर निर्भर करता है तथा सीएफपीजी के अंतर्गत संगोष्ठी, सम्मेलन, अनुसंधान, कार्यशाला, महोत्सव, प्रदर्शनी, विचार गोष्ठी, नृत्य, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के निर्माण के लिए किसी संगठन को अधिकतम 5.00 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसे विशेष परिस्थिति में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

*****